



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 फाल्गुन 1932 (श०)
(सं० पटना ६१) पटना, बुधवार, ९ मार्च 2011

पत्र संख्या—११/आ०२—आ०नी—०५/२०१०सा.०६७३
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

सभी प्रधान सचिव/सचिव ।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना ।

पटना—१५, दिनांक ०८ मार्च, 2011

विषय—जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति/आय/आवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु बिहार सरकार/भारत सरकार द्वारा इससे संबंधित मार्ग—दर्शन को परिचारित करते हुए उसमें अंतर्निहित प्रक्रिया एवं शर्तें का अनुपालन करने हेतु समय—समय पर अनुदेश दिया जाता परिचारित करते हुए उसमें अंतर्निहित प्रक्रिया एवं शर्तें का अनुपालन करने हेतु प्रमाणपत्र का प्रपत्र भी परिचारित किया जाता रहा है।

वर्तमान में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र एवं अंचलाधिकारी प्रमाणपत्र निर्गत करते हैं। इसमें आवास प्रमाणपत्र के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी प्रमाणपत्र निर्गत करते हैं। इन प्रक्रियाओं के सरलीकरण, जाली प्रक्रियात्मक विलम्ब होने के कारण आवेदकों को काफी परेशानी होती है। इन प्रक्रियाओं के सरलीकरण, जाली

प्रमाणपत्रों पर रोक लगाने तथा पारदर्शिता लाने हेतु राज्य सरकार ने विचारोपरांत निर्णय लिया है कि सरकारी सेवाओं में नियोजन एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र पूर्ण रूप से मान्य होंगे।

प्रमाणपत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र के लिए प्राप्त आवेदन हेतु आवेदनों की प्राप्ति एवं उसके निष्पादन संबंधी मार्ग-दर्शन दिये जा रहे हैं, जो निम्नांकित हैं—

(1) जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र जाँचोपरांत अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे। राजस्व अभिलेख की जाँच/ स्थलीय जाँच अंचलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/ कर्मचारी द्वारा की जायेगी।

(2) वांछित प्रमाणपत्र हेतु आवेदक/आवेदिका द्वारा विहित प्रपत्र में पूर्णरूपेण भरे गये आवेदन, संगत स्वयं शपथपत्र अर्थात् आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जाने वाला शपथपत्र सहित संबंधित अंचल कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(3) राजस्व कर्मचारी/पंचायत सेवक/जनसेवक के हस्ताक्षर का नमूना संबंधित अंचल कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा।

(4) वांछित प्रमाणपत्र हेतु आवेदन का निष्पादन अंचल कार्यालय में प्रस्तुत करने पर प्रस्तुतीकरण के इक्कीस दिनों के अन्दर कर दिया जाय। साथ ही साथ वांछित प्रमाणपत्र देय नहीं होने की स्थिति में कारण को स्पष्ट करते हुए इस आशय की भी सूचना आवेदक/आवेदिका को दे दी जायेगी।

(5) आवेदन प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर प्राधिकृत कर्मी वांछित प्रमाणपत्र (दो प्रतियों में) निर्गत कराकर एक प्रति संबंधित आवेदक/आवेदिका को प्राप्त करा देंगे।

(6) राज्य सरकार से इतर प्राधिकारों/अन्य संस्थानों में नियुक्त अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए अगर अनुमंडल पदाधिकारी अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की माँग की जाती है तो ऐसे मामले में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र को उच्चाधिकारी द्वारा मात्र प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(7) किसी संस्थान विशेष द्वारा यदि उनके द्वारा निर्मित विहित प्रपत्र में प्रमाणपत्रों की माँग की जाती है तो संबंधित पदाधिकारी द्वारा वांछित प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।

(8) ओ.बी.सी. (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाणपत्र बार-बार निर्गत नहीं किये जायेंगे। पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र के साथ भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापांक संख्या—36033/4/97-स्था.(आरक्षण) दिनांक 25.07.03, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या—11/वि.5-09/1998-1074 दिनांक 06.07.2005 द्वारा परिचारित किया गया है, के आलोक में क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी शपथपत्र फॉर्म—XVIII में आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जायेगा, जो मान्य होगा।

(9) जाति प्रमाणपत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जायेंगे—

आवेदक/आवेदिका के पिता/पूर्वज का—

(9.1) राजस्व अभिलेख (यथा खतियान, दानपत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आदि)।

(9.2) कंडिका—(9.1) में उल्लिखित अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन को भी यथा स्थिति यथा समय जाति प्रमाणपत्र हेतु आधार बनाया जा सकता है।

(10) आवास प्रमाणपत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जायेंगे:-

आवेदक/आवेदिका के माता—पिता/पूर्वज का—

(10.1) राजस्व अभिलेख (यथा खतियान, दानपत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आदि)।

(10.2) राशन कार्ड।

(10.3) निर्वाचन पहचान पत्र।

(10.4) विद्युत विपत्र।

(10.5) दूरभाष विपत्र।

(11) आय प्रमाणपत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जायेंगे:-

आवेदक/आवेदिका के माता—पिता का—

(10.1) वेतन/पेशन पर्ची।

(10.2) आयकर रिटर्न।

(10.3) अन्यान्य अभिलेख।

(12) प्रमाणपत्रों की वैधता :-

i. जाति प्रमाणपत्र :— सामान्यतया जाति प्रमाणपत्र की वैधता की कोई सीमा नहीं होगी।

ii. आय प्रमाणपत्र :— आय प्रमाणपत्र हेतु आय का आकलन गत वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर होगा, जो निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा।

iii. आवास प्रमाणपत्र :- (क) सामान्यतया अस्थायी आवास प्रमाणपत्र की मान्यता निर्गत होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष तक होगी ।

(ख) स्थायी आवास प्रमाणपत्र की वैधता की कोई सीमा नहीं होगी ।

(13) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-11/वि.5-न्याय-09/1996-1236 दिनांक 03.03.2008 द्वारा प्रावधान किया जा चुका है कि “दूँकि किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती है, अतएव एक बार निर्गत जाति प्रमाणपत्र की मान्यता सभी विभाग / कार्यालय / शिक्षण संस्थानों द्वारा दिया जाना चाहिए तथा जाति प्रमाणपत्र की सम्पुष्टि के उपरांत इसे आवेदक को वापस कर दिया जाना चाहिए” । इसी संदर्भ में निदेश है कि जाति प्रमाणपत्र के साथ-साथ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ भी आवश्यक सम्पुष्टि के उपरांत आवेदक/आवेदिका को वापस कर दिया जाय ।

(14) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-70 दिनांक 11.06.96 एवं बिहार अधिनियम, 15/2003 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय है ।

(15) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-3025 दिनांक 11.09.2007 के आलोक में स्पष्ट करना है कि व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति से होगा ।

(16) सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त आशय की सूचना तथा विहित प्रपत्र अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारियों को यथासमय उपलब्ध करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि नयी व्यवस्था के तहत आवेदक/आवेदिका को प्रमाणपत्र सुलभ होने लगे ।

(17) जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र निर्गत करने संबंधी राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/आदेश/संकल्प आदि के असंगत अंश निरस्त किये जाते हैं । विभिन्न प्रमाणपत्रों/आवेदनपत्रों/स्वयं शपथपत्रों अर्थात् आवेदक/आवेदिका द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्रों हेतु विहित प्रपत्र संलग्न हैं ।

(18) नयी व्यवस्था पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा नियमानुसार पूर्व निर्गत सभी प्रमाणपत्र मान्य होंगे ।

अनु.-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
सरयुग प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

विहित प्रपत्रों की सूची :-

क्रं.	विषय वस्तु	फॉर्म नम्बर
1	2	3
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन ।	:- फॉर्म-I
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र	:- फॉर्म-II
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र हेतु स्वयं शपथपत्र ।	:- फॉर्म-III
4.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाणपत्र	:- फॉर्म-IV
5.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाणपत्र हेतु स्वयं शपथपत्र ।	:- फॉर्म-V
6.	ओ.बी.सी. (क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र) हेतु आवेदन पत्र (भारत सरकार के प्रयोजनार्थ)	:- फॉर्म-VI
7.	भारत सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों की उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाणपत्र (क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र) ।	:- फॉर्म-VII
8.	ओ.बी.सी. (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाणपत्र हेतु स्वयं शपथपत्र । (भारत सरकार के प्रयोजनार्थ)	:- फॉर्म-VIII
9.	क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	:- फॉर्म-IX
10.	क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)	:- फॉर्म-X
11.	क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेतु स्वयं शपथपत्र पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)	:- फॉर्म-XI
12.	निवास प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र	:- फॉर्म-XII
13.	निवास प्रमाणपत्र	:- फॉर्म-XIII
14.	निवास प्रमाणपत्र हेतु स्वयं शपथपत्र	:- फॉर्म-XIV
15.	आय प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र	:- फॉर्म-XV
16.	आय प्रमाणपत्र	:- फॉर्म-XVI
17.	आय प्रमाणपत्र हेतु स्वयं शपथपत्र	:- फॉर्म-XVII
18.	क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी अधिकारिक घोषणापत्र का विहित प्रपत्र	:- फॉर्म-XVIII

फॉर्म-I

आवेदन पत्र संख्या.....

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र

कार्यालय का नाम :-

आवेदन पत्र जमा करने की तिथि

आवेदक/आवेदिका का नाम :-

पिता का नाम एवं जाति:-

पति का नाम :-

लिंग :-

स्वयं शपथ-पत्र :-

गाँव/मोहल्ला :-

पोस्ट :-

पंचायत/वार्ड संख्या :-

थाना :-

ब्लॉक :-

अनुमण्डल :-

जिला :-

राज्य :-

व्यवसाय :-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति :-

उप जाति :-

स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी :-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर ।

फॉर्म-II

कार्यालय का नाम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या—

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री

गाँव/शहर

पोस्ट

ऑफिस

थाना

अनुमण्डल

जिला

राज्य

समुदाय के सदस्य हैं, जो कि

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (भोजिकेशन) 1956 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 एवं समय-समय-पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/की हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी

एवं उनका परिवार

गाँव/शहर

प्रखण्ड

पोस्ट ऑफिस

थाना

अनुमण्डल

जिला

राज्य

में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

फॉर्म-III

स्वयं शपथ-पत्र

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र हेतु

मैं	पुत्र/पुत्री	
गाँव/शहर	प्रखण्ड	पोस्ट
ऑफिस	थाना	अनुमण्डल
जिला	राज्य	एतद् द्वारा निम्नांकित शपथ लेता/लेती हूँ कि :-

मैं जाति से संबंध रखता/रखती हूँ जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम ।

स्थान :-

दिनांक :-

फॉर्म-IV

पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाणपत्र

(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

कार्यालय का नाम _____

प्रमाणपत्र संख्या— _____ दिनांक _____

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ सुश्री _____

पिता/पति/श्री _____ ग्राम/नगर _____

प्रखण्ड _____ पोस्ट _____ थाना _____

अनुमण्डल _____ जिला _____ राज्य _____

समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 समय-समय-पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक _____ पर अंकित हैं। अतः श्री/ श्रीमती/ सुश्री _____

पुत्र/पुत्री _____ अत्यंत पिछड़ा

वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का/की हैं।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ एवं उनका परिवार

गाँव/ शहर _____ प्रखण्ड _____ पोस्ट ऑफिस _____

थाना _____ अनुमण्डल _____ जिला _____ राज्य _____ में

निवास करता है।

हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

(कार्यालय का मुहर सहित)

फॉर्म-V

स्वयं शपथ-पत्र

अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाणपत्र हेतु

मैं

पुत्र/पुत्री

गाँव/शहर

प्रखण्ड

पोस्ट ऑफिस

थाना

अनुमण्डल

जिला

राज्य

एतद् द्वारा निम्नांकित शपथ लेता / लेती हूँ कि :-

मैं _____ जाति से संबंध रखता/रखती हूँ जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अंतर्गत आता है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम ।

स्थान :-

दिनांक :-

फॉर्म—VI

ओ.बी.सी. (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र
(भारत सरकार के प्रयोजनार्थ)

आवेदन पत्र संख्या.....

सेवा में

महोदय,

मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण से सम्बन्धित पिछड़ी जाति के लिए प्रमाणपत्र देने की कृपा की जाय।

मेरे बारे में आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार है :—

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :—

2. जन्म तिथि :—

3. आवासीय पता :— (पूर्ण)

(क) स्थाई —

ग्राम/मुहल्ला —

पोस्ट —

थाना —

प्रखण्ड—

जिला —

वार्ड नं. — सर्किल नं. — हो. नं. —

(क) अस्थायी —

ग्राम/मुहल्ला —

पोस्ट —

थाना —

प्रखण्ड—

जिला —

वार्ड नं. —

सर्किल नं. —

हो. नं. —

4. धर्म :—

5. जाति :—

6. उप-जाति :—

7. पेशा —

8. केन्द्र की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक सं. :—

9. पिता का नाम एवं जाति :-

10. माता का नाम :-

11. पति का नाम :-

12. अभिभावक /पिता/पति की स्थिति पिता माता पति

(क) (1) संवैधानिक पद

(2) पदनाम :-

(i) सरकारी सेवा (केन्द्र/राज्य) :-

(ii) पदनाम :-

(iii) वेतनमान :-

(iv) नियुक्ति की तिथि :-

(v) उप्र प्रथम श्रेणी में प्रोत्रति के समय (अगर लागू हो) :-

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित

जैसे -यूनिसेफ/यू.एन./डब्लू.एच.ओ.

(1) संगठन का नाम :-

(2) पदनाम :-

(3) सेवा का नाम

तिथि..... से तक |

(ग) निजी क्षेत्र में नियोजित के लिए :-

(1) संगठन/फर्म का नाम :-

(2) पदनाम :-

(3) नियुक्ति की तिथि :-

(घ) आर्मस फोर्स/कारा मिलिट्री के लिए :-

(1) पदनाम :-

(2) वेतनमान :-

(ङ) व्यवसायों के लिए :- पिता माता पत्नी

(1) पेशा :-

(च) सम्पत्ति का विवरण :-

पिता/माता/आवश्यक बच्चों का नाम :-

(1) पता :-

(2) क्षेत्रफल :-

(3) (क) असिंचित :-

(ख) सिंचित :-

(4) सिंचित जमीन का प्रतिशत :-

(बिहार सरकार के सिंलिंग कानून के अन्तर्गत)

(विवरण अंचलाधिकारी से सत्यापित होना चाहिए)

(5) कुल सिंचित/असिंचित जमीन :-

(छ) प्लॉटेशन :-

(1) फसल/फल :-

(2) पता :-

(3) क्षेत्रफल :-

(ज) परती जमीन/भवन (शहरी क्षेत्र के लिए)

(1) सम्पत्ति का स्थान :-

(2) सम्पत्ति का विवरण :-

(3) सम्पत्ति का क्या इस्तेमाल होता है :-

(झ) आय :-

- (1) वार्षिक आय (नौकरी, पेशन, व्यवसाय या कृषि से आय)
- (2) क्या कर भुगतान करते हैं ? (अगर हाँ तो विंगत तीन वर्षों का रिट्टन की प्रति प्रस्तुत करें) ;
- (3) क्या सम्पत्ति कर के अन्तर्गत हैं (अगर हाँ तो पूर्ण विवरण दें)

(ट) कुछ अन्य बातें :-

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य हैं और पूर्ण विश्वास है कि मैं क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं हूँ और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम हूँ। अगर कोई सूचना गलत पायी गयी तो मेरा नियोजन रद्द किया जा सकता है या कानून के नियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर ।

फॉर्म-VII

भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाणपत्र ।

कार्यालय का नाम

प्रमाणपत्र संख्या— दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती.....

पिता/पति का नाम..... ग्राम/महल्ला.....

पोस्ट थाना..... प्रखण्ड.....

जिला..... प्रमण्डल..... राज्य बिहार के हिन्दू/मुस्लिम धर्म अन्तर्गत..... जाति के सदस्य हैं, जिसे निम्नानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता प्राप्त है :-

@ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/68/93 बी.सी.सी. (सी.) दिनांक 10.09.1993 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-186 दिनांक 13.09.1993 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/9/94 बी.सी.सी. दिनांक 19.10.1994 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-163 दिनांक 20.10.1994 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/7/95 बी.सी.सी. दिनांक 24.05.1995 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-88 दिनांक 25.05.1995 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/96/94 बी.सी.सी. दिनांक 09.03.1996 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-60 दिनांक 11.03.1996 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/44/96 बी.सी.सी. दिनांक 06.12.1996 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-210 दिनांक 11.12.1996 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/99/94 बी.सी.सी. दिनांक 11.12.1997 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-236 दिनांक 12.12.1997 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/13/97 बी.सी.सी. दिनांक 03.12.1997 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-239 दिनांक 17.12.1997 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/68/98 बी.सी.सी. दिनांक 27.10.1999 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-241 दिनांक 27.10.1999 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/88/98 बी.सी.सी. दिनांक 06.12.1999 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-270 दिनांक 06.12.1999 के आलोक में पहचान किए गए हैं ।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/36/99 बी.सी.सी. दिनांक 04.04.2000 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-71 दिनांक 04.04.2000 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/44/99 बी.सी.सी. दिनांक 21.09.2000 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-210 दिनांक 21.09.2000 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/09/2000 बी.सी.सी. दिनांक 06.12.2001 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-246 दिनांक 06.12.2001 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/01/2001 बी.सी.सी. दिनांक 19.06.2003 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-151 दिनांक 20.06.2003 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/04/2002 बी.सी.सी. दिनांक 13.01.2004 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-09 दिनांक 13.01.2004 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या-12011/14/2004 बी.सी.सी. दिनांक 12.03.2007 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-67 दिनांक 12.03.2007 के आलोक में पहचान किए गए हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती..... एवं इनके परिवार सामान्यतः
ग्राम/महल्ला..... पोस्ट.....
प्रखण्ड..... जिला..... प्रमण्डल.....
राज्य बिहार के निवासी हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/1993स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या-36033/3/2004 स्था.(आ.) दिनांक 09.03.2004 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या-36033/03/2004स्था.(आ.) दिनांक 14.10.2008 के स्तम्भ-3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आते/आती हैं।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

(मुहर सहित)
बिहार राज्य

स्थान.....

दिनांक.....

फॉर्म—VIII

स्वयं शपथ—पत्र

**ओ.बी.सी. (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाणपत्र हेतु
(भारत सरकार के प्रयोजनार्थ)**

मैं पुत्र/पुत्री
 गाँव/शहर पोस्ट ऑफिस थाना
 प्रखण्ड.....अनुमण्डलजिला राज्य ने ओ.बी.सी. हेतु आवेदन दिया
 है, एतद द्वारा शपथ लेता/लेती हूँ कि :-

1. मैं जाति से संबंध रखता/रखती हूँ जो बिहार हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है।
2. मेरे माता/पिता मैं से कोई भी भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप—ए/क्लास—1 के पद पर अथवा पी.एस.यू., बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप—ए के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं।
3. मेरे माता और पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) मैं से कोई/कोई एक भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप—बी/क्लास—2 के पद पर अथवा पी.एस.यू., बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, विश्वविद्यालय की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप—बी/क्लास—2 के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में नहीं हैं।
4. मेरे माता/पिता की वेतन से वार्षिक आय रु. (शब्दों में) है।
5. मेरे माता/पिता की अन्य स्रोत से बिजनेस/प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय रु. (शब्दों में), है।

6. मैं ओ.बी.सी. प्रमाणपत्र निर्गत करने संबंधी सरकार द्वारा निर्गत संगत आदेश में परिभाषित क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम ।

स्थान :—

दिनांक :—

फॉर्म-IX

क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र

(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग

आवेदन पत्र संख्या.....

सेवा में

महोदय,

मुझे बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य राज्य सेवा में आरक्षण से सम्बन्धित पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाणपत्र देने की कृपा की जाय।

मेरे बारे में आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार है :-

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :-

2. जन्म तिथि :-

3. आवासीय पता :— (पूर्ण)

(क) स्थाई — वार्ड नं. —

सर्किल नं. —

हो. नं. —

ग्राम/मुहल्ला —

पोस्ट —

थाना —

प्रखण्ड—

जिला —

(ख) अस्थायी —वार्ड नं. —

सर्किल नं. —

हो. नं. —

ग्राम/मुहल्ला —

पोस्ट —

थाना —

प्रखण्ड—

जिला —

4. धर्म :—

5. जाति :—

6. उप-जाति :—

7. पेशा —

8. बिहार की सूची में पिछड़ी जाति/अत्यंत पिछड़ी जाति का क्रमांक सं. :—

9. पिता का नाम एवं जाति :—

10. माता का नाम :—

11. पति का नाम :—

12. अभिभावक /पिता/पति की स्थिति पिता माता पति

(क) (1) संवैधानिक पद

(2) पदनाम :—

(i) सरकारी सेवा (केन्द्र/राज्य) :—

(ii) पदनाम :—

(iii) वेतनमान :—

(iv) नियुक्ति की तिथि :—

(v) उम्र प्रथम श्रेणी में प्रोत्त्रति के समय (अगर लागू हो) :—

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित

जैसे —यूनिसेफ/यू.एन./डब्लू.एच.ओ.

(1) संगठन का नाम :—

(2) पदनाम :—

(3) सेवा का नाम

तिथि..... से..... तक |

(ग) निजी क्षेत्र में नियोजित के लिए :—

(1) संगठन/फर्म का नाम :—

(2) पदनाम :—

(3) नियुक्ति की तिथि :—

(घ) आर्मस फोर्स/कारा मिलिट्री के लिए :—

(1) पदनाम :—

(2) वेतनमान :—

(ङ) व्यवसायों के लिए :—

पिता माता पत्नी

(1). पेशा :—

(च) सम्पत्ति का विवरण :—

पिता/माता/आवश्यक बच्चों का नाम :—

(1) पता :—

(2) क्षेत्रफल :—

(3) (क) असिंचित :-

(ख) सिंचित :-

(4) सिंचित जमीन का प्रतिशत :-

(बिहार सरकार के सिंलिंग कानून के अन्तर्गत)

(विवरण अंचलाधिकारी से सत्यापित होना चाहिए)

(5) कुल सिंचित/असिंचित जमीन :-

(छ) प्लाटेशन :-

(1) फसल/फल :-

(2) पता :-

(3) क्षेत्रफल :-

(ज) परती जमीन/भवन (शहरी क्षेत्र के लिए)

(1) सम्पत्ति का स्थान :-

(2) सम्पत्ति का विवरण :-

(3) सम्पत्ति का क्या इस्तेमाल होता है :-

(झ) आय :-

(1) वार्षिक आय (नौकरी, पेंशन, व्यवसाय या कृषि से आय)

(2) क्या कर भुगतान करते हैं ? (अगर हाँ तो विवरण तीन वर्षों का

रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करें) ;

(3) क्या सम्पत्ति कर के अन्तर्गत है ? (अगर हाँ तो पूर्ण विवरण दें)

(ट) कुछ अन्य बातें :-

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य हैं और पूर्ण विश्वास है कि मैं क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं हूँ और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम हूँ। अगर कोई सूचना गलत पायी गयी तो मेरा नियोजन रद्द किया जा सकता है या कानून के नियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर ।

फॉर्म-X

क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र

पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु

(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

कार्यालय का नाम

प्रमाणपत्र संख्या-..... दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता/पति/श्री

ग्राम/नगर पोस्ट थाना प्रखण्ड.....

अनुमण्डल जिला राज्य समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार
 पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों
 के लिए) अधिनियम, 1991 समय-समय-पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत
 पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक पर अंकित हैं। अतः
 श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का/की हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय
 ज्ञापन संख्या-36012/22/1993स्था。(एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या-36033/
 3/2004स्था.(आ.) दिनांक 09.03.2004 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या-36033/03/2004 स्था.(आ.)
 दिनांक 14.10.2008 के स्तम्भ-3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आते/आती हैं।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

(मुहर सहित)

बिहार राज्य

स्थान.....

दिनांक.....

फॉर्म-XI**स्वयं शपथ—पत्र**

क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेतु
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु

मैं पुत्र/पुत्री
गाँव/शहर पोस्ट ऑफिस थाना
प्रखण्ड अनुमण्डल जिला राज्य ने क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेतु
आवेदन दिया हूँ, एतद द्वारा शपथ लेता/लेती हूँ कि :—

1. मैं जाति से संबंध रखता/रखती हूँ जो बिहार हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है।

2. मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप—ए/क्लास—1 के पद पर अथवा पी.एस.यू., बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप—ए के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं।

3. मेरे माता और पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) में से कोई/कोई एक भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप—बी/क्लास—2 के पद पर अथवा पी.एस.यू., बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, विश्वविद्यालय की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप—बी/क्लास—2 के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में नहीं हैं।

4. मेरे माता/पिता की वेतन से वार्षिक आय रु. (शब्दों में) है।

5. मेरे माता/पिता की अन्य स्रोत से बिजनेस/प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय रु. (शब्दों में). है।

6. मैं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र निर्गत करने संबंधी सरकार द्वारा निर्गत संगत आदेश में परिभाषित क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम।

स्थान :—

दिनांक :—

फॉर्म-XII**निवास प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र**

आवेदन पत्र संख्या _____

कार्यालय का नाम :-

आवेदन पत्र जमा करने की तिथि :-

आवेदक/आवेदिका का नाम :-

पिता का नाम :-

पति का नाम :-

लिंग :-

स्वयं शपथ—पत्र :-

गाँव/भोहल्ला :-

पोस्ट :-

पंचायत/वार्ड संख्या :-

थाना :-

ब्लॉक :-

अनुमण्डल :-

जिला :-

राज्य :-

निवास प्रमाणपत्र का आधार :-

- i. राजस्व अभिलेख
- ii. राशन कार्ड
- iii. निर्वाचन पहचान पत्र
- iv. विद्युत विपत्र
- v. दूरभाष विपत्र
- vi. स्वयं शपथपत्र

(जो लागू हो उसे चिह्नित करें)

आवेदन का उद्देश्य :-

स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी :-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर ।

फॉर्म-XIII

निवास प्रमाणपत्र

कार्यालय का नाम

प्रमाणपत्र संख्या—.....

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ सुश्री
पिता/पति ग्राम/नगर पोस्ट
थाना प्रखण्ड अनुमण्डल जिला
राज्य के स्थायी/अस्थायी निवासी हैं ।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

(मुहर सहित)
बिहार राज्य

स्थान.....

दिनांक.....

फॉर्म-XIV

स्वयं शापथ—पत्र
निवास प्रमाणपत्र हेतु

मे	पुत्र / पुत्री
गाँव / शहर	पोर्ट ऑफिस
राज्य	प्रखण्ड अनुमण्डल जिला
	का स्थायी / अस्थायी निवासी हूँ ।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे हारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है । यदि मेरे हारा दी गई जानकारी असत्य / गलत पायी जाती है तो मैं पूरा रूप से जानता / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा ऐक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अच्छ सुविधा / लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी विचेत किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा / रहेंगी ।

आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम ।

स्थान :-

दिनांक :-

फॉर्म-XV**आय प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र**

आवेदन पत्र संख्या.....

कार्यालय का नाम :-

आवेदन पत्र जमा करने की तिथि

आवेदक/आवेदिका का नाम :-

पिता का नाम :-

पति का नाम :-

लिंग :-

स्वयं शपथ-पत्र :-

गाँव/सोहल्ला :-

पोस्ट :-

पंचायत/वार्ड संख्या :-

थाना :-

ब्लॉक :-

अनुमण्डल :-

ज़िला :-

राज्य :-

आय प्रमाणपत्र का आधार :-

i. वेतन/पेंशन पर्ची

ii. आयकर रिटर्न

iii. अन्यान्य अभिलेख

(जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

आवेदन का उददेश्य :-

पेशा :-

सरकारी सेवा से आय :-

व्यवसाय से आय :-

कृषि से आय :-

अन्य स्रोतों से आय :-

कुल आय (वार्षिक) :-

स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी :-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर ।

फॉर्म-XVI

आय प्रमाणपत्र

कार्यालय का नाम

प्रमाणपत्र संख्या-.....

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ग्राम/नगर पोस्ट

पिता/पति/श्री थाना प्रखण्ड अनुमान्डल जिला राज्य पर्वत उनके परिवार की कुल वार्षिक आय निम्नांकित है :-

सरकारी सेवा से आय :-

चरवाय से आय :-

कृषि से आय :-

अन्य औतों से आय :-

कुल आय (वार्षिक) :-

ठस्ताक्षर.....

पदनाम.....

(मुहर सहित)

बिहार राज्य

स्थान.....

दिनांक.....

फॉर्म-XVII

स्वयं शपथ—पत्र

आय प्रमाणपत्र हेतु

#	पुत्र / पुत्री	गाँव / शहर
पोस्ट ऑफिस	थाना	प्रखण्ड
अनुमंडल	जिला	एवं राज्य

मेरे परिवार की कुल वार्षिक आय निम्नांकित है :-

सरकारी सेवा से आय :-

चावसाय से आय :-

कृषि से आय :-

अन्य छोटों से आय :-

कुल आय (वार्षिक) :-

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य / गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति नियस्त कर दी जायेगी / कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा / रहेंगी ।

आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम ।

स्थान :-

दिनांक :-

(फॉर्म-XVIII)

अधिकारिक घोषणा पत्र का विहित प्रपत्र
 (आवेदक द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र)

मैं पुत्र / पुत्री श्री

निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर पोस्ट थाना

प्रखण्ड ज़िला राज्य

एतद द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) में निहित आदेश के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा क्रमशः ओ.बी.सी./पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.93, 09.03.04 एवं 14.10.08 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लेखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 61-571+200-डी०टी०पी०।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>